

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

दिनांक सं.	धारा अंतर्गत	प्राप्त	तहसील
07/2011	53,89,188 RTA	पत्रावली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
उर्मिलाबाई	बनाम	कंचनबाई	

ल :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	प्रतिपक्ष संदर्भ
12-12-11	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,89,188 RTA, विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.01.2012 को पेश हो।	
3-1-12	आज पीएचडी अधिकारी के दौरे पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 17-1-12 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारा	
17-1-12	आज पीएचडी अधिकारी के दौरे पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 24-1-12 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारा	उर्ध्ववाही के 1 की कोर्ट के डिक्री को एडवा. ए. का नकारात्मक पत्र उठाया
24-1-12	आज पीएचडी अधिकारी के दौरे पर होने के कारण पत्रावली दिनांक 22-2-12 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारा	
22-2-12	पत्रावली पेश हुई। वरिष्ठ एडवा. छबड़ियों द्वारा उर्ध्ववाही के 1 की कोर्ट के डिक्री को एडवा. ए. का नकारात्मक पत्र उठाया। उर्ध्ववाही के 2 का 11 की कोर्ट के डिक्री का नकारात्मक पत्र उठाया। पत्रावली जारी कनाड दिनांक 22-2-12 को पेश हो।	

2011 212 RTA गूगल छबड़ा

01-09
21

पत्रावली कोविड - 19 के कारण पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। अतिरिक्त डिप्टी जारी हो। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त डिप्टी दिनांक 21.9.21 को पेश हो। पुनश्च: तहसीलदार इकाई से विभाजन प्रत्येक प्रारंभ पक्षकारों सहमत है। भूतार्थिक विभाजन प्रत्येक अनुसूचित वर्ग कारण के अर्थ प्रथम - प्रथम विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम/कारण	र.न.	रकबा	क्षेत्र
1	उमिला पति राधेशंकर	70	1.16	1.40
	जाति लोधा सोदेह	71	1.04	0.96
		किता 2	रकबा 3.50	-2.36
2-	कंचन पुत्री शंकर सिंह	70/1	0.07	0.27
	दि. 7/1 भोहरा, मन्दा			
	पिता अदन, कोशल्या	71/1	0.04	0.16
	कमला पुत्री अदन जाति			
	खैरवा दि. 5/11			
		किता - 2	रकबा 0.11	- 0.43

इसतानुसार पक्षकारों के अर्थ प्रथम प्रथम विभाजन कर राजस्व रिवाइड में अलग दरामद कर है तहसीलदार इकाई से निर्दिष्ट किया जाता है। तहसीलदार तदनुसार फालत सुनिश्चित करें। अतिरिक्त डिप्टी जारी हो। पत्रावली प्रेषित कुमार कार्यालय दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मकड़ा, जिला बारां (राज.)

201/011

पारा अंतर्गत 53, 89, 188 RTA

निर्णय दिनांक 01/01/021

कारण :- इलाहाबादी मनीषा त्रिवादी RAS उपखण्ड अधिकारी इलाहाबादी जिला-बारां

उपस्थिति :- अभिभाषक वादी श्री देवराज अग्निभाषक प्रतिवादी श्री 010 रजि. नं. 010

वाद शीर्षक

1. इलाहाबादी मनीषा त्रिवादी विरुद्ध श्री देवराज अग्निभाषक प्रतिवादी इलाहाबादी जिला-बारां

- 1. कैचन श्री देवराज अग्निभाषक प्रतिवादी इलाहाबादी जिला-बारां
- 2. मनीषा त्रिवादी का इलाहाबादी जिला-बारां
- 3. इलाहाबादी जिला-बारां
- 4. इलाहाबादी जिला-बारां
- 5. इलाहाबादी जिला-बारां
- 6. इलाहाबादी जिला-बारां
- 7. इलाहाबादी जिला-बारां
- 8. इलाहाबादी जिला-बारां
- 9. इलाहाबादी जिला-बारां
- 10. इलाहाबादी जिला-बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि :-

1. प्रथम निर्णय प्रत्येक अनुसूचित पक्ष-द्वारा के अर्थ में प्रथम-प्रथम निर्णय निर्गत प्रकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम रकबेदार	श. न.	रकबा	लगत
1 -	इलाहाबादी मनीषा त्रिवादी	70	-	1.16
	मनीषा त्रिवादी का इलाहाबादी जिला-बारां	71	-	1.04
	इलाहाबादी जिला-बारां	क्रिया-2	रकबा 3.00	2.34
2 -	कैचन श्री देवराज अग्निभाषक प्रतिवादी	70/1	-	0.07
	मनीषा त्रिवादी का इलाहाबादी जिला-बारां	71/1	-	0.04
	इलाहाबादी जिला-बारां	क्रिया-2	रकबा-0.11	0.43
	इलाहाबादी जिला-बारां			

साथ ही निम्नानुसार.....र. का व्ययानुतोष.....द्वारा.....को प्रदान किया जाए उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक.....को निर्गत किया गया।

इलाहाबादी जिला-बारां उपखण्ड अधिकारी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
हस्ताक्षर
छबड़ा, जिला-बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज (%)		
	योग		